

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2019

जयपुर, दिनांक : 10.01.2019

आदेश

डा. निखिल शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ, जैसलमेर को तुरन्त प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाता है। आदेशों की प्रतीक्षा अवधि में डा. शर्मा का मुख्यालय, निदेशक, जन (स्वास्थ्य) के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय / मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन, जोधपुर
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि डा. शर्मा के विरुद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत आरोप-पत्रादि निदेशक, जन स्वास्थ्य को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।
6. संबंधित अधिकारी
7. कम्प्यूटर सेल / निजी / रक्षित पत्रावली
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव